

## Order sheet [Contd]

case No: MACC - 08 / 17

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
09-09-17	<p>प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में इस खण्डपीठ के समक्ष प्रस्तुत ।  आवेदक राजेश शर्मा द्वारा श्री के०पी० राठौर अधिवक्ता उप० ।  अनावेदक क०-1 द्वारा श्री अरुण श्रीवास्तव अधिवक्ता उप० ।  अनावेदक क०-2 द्वारा श्री आर०के० वाजपेयी अधिवक्ता उप० ।  आवेदक राजेश शर्मा की ओर से श्री के०पी० राठौर अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि वे इस प्रकरण में आवेदक की ओर से राजीनामा करने के लिए अधिकृत हैं । उन्हें आवेदक के द्वारा इस प्रकरण में राजीनामा करने के लिए अधिकृत किया गया है ।  अनावेदक क०-1 की ओर से श्री अरुण श्रीवास्तव अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि वे इस प्रकरण में अनावेदक क०-1 की ओर से राजीनामा करने के लिए अधिकृत हैं । उन्हें अनावेदक क०-1 के द्वारा इस प्रकरण में राजीनामा करने के लिए अधिकृत किया गया है ।  उभयपक्ष की ओर से सहमतिपत्र लोक अदालत डॉकेट भरकर संयुक्त रूप से राजीनामा आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया । आवेदक राजेश शर्मा की ओर से श्री के०पी० राठौर अधिवक्ता के द्वारा तथा अनावेदक क० 1 की ओर से श्री अरुण श्रीवास्तव अधिवक्ता डॉकेट पर हस्ताक्षर किए गये ।  प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार उभयपक्ष ने व्यक्त किया है कि अनावेदक विजय बरेठा आवेदक राजेश शर्मा को आई चोटों के लिये आवेदक को राशि <b>रुपये 1,000 / - (एक हजार)</b> अदा करेंगे करेगा ।  उभय पक्ष की ओर से स्वेच्छयापूर्वक राजीनामा करना व्यक्त किया । राजीनामा विधिवत प्रकट होता है । अतः राजीनामा स्वीकार किया जाकर राजीनामे के आधार पर आवेदक के पक्ष में निम्न आशय का अधिनिर्णय पारित किया जाता है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अनावेदक विजय बरेठा दुर्घटना में आवेदक राजेश शर्मा को आई चोटों के लिए क्षतिपूर्ति स्वरूप आवेदक को राशि <b>रुपये 1,000 / - (एक हजार)</b> दो माह की अवधि में अदा करे । विहित इस अवधि में यदि राशि की अदायगी नहीं की जाती है तब विलंबित अवधि के लिये देय राशि पर 7.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज की राशि भी अदा करे ।</li> <li>2. उक्त क्षतिपूर्ति की राशि <b>रुपये 1,000 / - (एक हजार)</b> आवेदक को बैंक के माध्यम से नकद प्रदान किये जावें ।</li> <li>3. उभय पक्ष अपना-अपना वाद वहन करेंगे ।</li> <li>4. अधिवक्ता शुल्क दो सौ रुपये लगाया जावे ।  प्रतिलिपि पक्षकारों को निःशुल्क प्रदान की जावे ।</li> </ol>	

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में भेजा जावे।</p> <p>(दिनेश सिंह गुर्जर) (बृजराज सिंह गुर्जर) (मोहम्मद अजहर) सदस्य सदस्य पीठासीन अधिकारी लोक अदालत,</p>	

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)